भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या-447**
उत्तर देने की तारीख-03/04/2023

## केन्द्रीय विद्यालयों के स्टाफ के लिए सीजीएचएस सुविधाएं

**†*447. श्री राजन बाबूराव विचारे:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की सुविधाएं देश के सभी केन्द्रीय विद्यालय को नहीं दी जाती हैं,
(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र में केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारी सीजीएचएस की सुविधाओं से वंचित हैं,
(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

**उत्तर**
**शिक्षा मंत्री**
**(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

**माननीय संसद सदस्य श्री राजन बाबूराव विचारे द्वारा 'केन्द्रीय विद्यालयों के स्टाफ के लिए सीजीएचएस सुविधाएं' के संबंध में दिनांक 03.04.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 447 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) से (घ): केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक अंशदायी स्वास्थ्य योजना है जो मुख्य रूप से सीजीएचएस कवर क्षेत्रों में रहने वाले केंद्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए है। कुछ स्वायत्त/सांविधिक निकायों ने लागत-दर-लागत के आधार पर अपने सेवारत कर्मचारियों या सेवारत

और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान की हैं। वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) के सेवारत कर्मचारियों को सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद और दिल्ली/एनसीआर में और केविसं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस शर्त के अधीन सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं कि उनके पास 'सेवा के दौरान' यानी सेवानिवृत्ति/ अधिवर्षिता के दिन एक वैध सीजीएचएस कार्ड था। महाराष्ट्र राज्य सहित केविसं के सेवारत कर्मचारियों को, जिन्हें सीजीएचएस सुविधा नहीं दी गई है, केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। केविसं के वे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सीजीएचएस कवर क्षेत्र में सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं, 1000/-रुपये प्रति माह नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए) के लिए पात्र हैं।

*****

**7 वां स्थान**

**माननीय संसद सदस्य श्री राजन बाबूराव विचारे द्वारा 'केन्द्रीय विद्यालयों के स्टाफ के लिए सीजीएचएस सुविधाएं' के संबंध में दिनांक 03.04.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 447 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के लिए सामग्री**

## कार्यकारी सार

- प्रश्न में मुख्य रूप से यह पूछा गया है कि "क्या केन्द्रीय विद्यालयों (केवि) के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस सुविधाएं देश के सभी केन्द्रीय विद्यालय को नहीं दी जाती हैं; क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र में केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारी सीजीएचएस की सुविधाओं से वंचित हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और सरकार द्वारा महाराष्ट्र के केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

- केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक अंशदायी स्वास्थ्य योजना है जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों और सीजीएचएस कवर क्षेत्रों में रहने वाले उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए है।

- केविसं सहित कुछ स्वायत्त/सांविधिक निकायों ने लागत-दर-लागत के आधार पर अपने सेवारत कर्मचारियों या सेवारत और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान की हैं।

- वर्तमान में, सीजीएचएस सुविधाएं केवल निम्नलिखित सीजीएचएस कवर शहरों में केविसं के सेवारत कर्मचारियों को और केवल दिल्ली/एनसीआर में केविसं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही हैं कि उनके पास 'सेवा के दौरान' एक वैध सीजीएचएस कार्ड हो, अर्थात, सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के दिन:

  (i) दिल्ली (गैर-शिक्षण कर्मचारी)
  (ii) कोलकाता
  (iii) मुंबई
  (iv) चेन्नई
  (v) बेंगलुरु
  (vi) हैदराबाद/सिकंदराबाद

- महाराष्ट्र राज्य सहित अन्य शहरों/राज्यों में केविसं के सेवारत कर्मचारियों को जिन्हें सीजीएचएस सुविधा नहीं दी गई है, उन्हें केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं।

- केविसं के वे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सीजीएचएस कवर क्षेत्र में सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं, वे निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) 1000/- रुपये प्रति माह के पात्र हैं।

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 06.03.2019 **(अनुलग्नक-I)** का एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें सभी सीजीएचएस कवर शहरों में केविसं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है, बशर्ते कि सेवा के दौरान उनके पास सीजीएचएस कार्ड हो।

- केविसं को 'सेवा के दौरान' शब्दों को शामिल करने के कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 6.3.2019 के का.ज्ञा. को लागू करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके माध्यम से केविसं के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाएं

उन्हीं निबंधन और शर्तों पर दी गई थीं, जिन पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 29.5.2015 के का.ज्ञा. के तहत दिल्ली/एनसीआर में केविसं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समान लाभ दिए गए थे **(अनुलग्नक- II)**।

- 'सेवा के दौरान' शब्दों को हटाकर दिनांक 6.3.2019 के का.ज्ञा. में उपयुक्त संशोधनों के लिए दिनांक 12.12.2019 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिनांक 6.3.2019 के का.ज्ञा.में संशोधन के लिए अनुरोध किया गया था।

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने का.ज्ञा. 24.1.2020 **(अनुलग्नक-III)** के तहत कहा था कि सभी सीजीएचएस कवर शहरों में लागत-दर-लागत के आधार पर को स्वायत्त/सांविधिक निकायों को का.ज्ञा. दिनांक 18.9.2018 के साथ पठित का.ज्ञा. 10.6.2014 दिनांक में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान की जाती है। सीजीएचएस सुविधा केवल छह शहरों यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में केविसं के सेवारत कर्मचारियों के लिए प्रदान की गई है, जबकि सीजीएचएस कवर किए गए शहर आज की तारीख में 72 हैं। केविसं को सभी सीजीएचएस शहरों में केविसं के पेंशनभोगियों को अनुमति/प्रतिपूर्ति प्रदान करने के संबंध में तौर-तरीकों पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है।

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह भी कहा था कि शिक्षा मंत्रालय आईएफडी की सहमति और दिनांक 18.9.2018 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित दिनांक 10.6.2014 के कार्यालय ज्ञापन में निहित प्रावधानों के संदर्भ में सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अनुमोदन से, उनके विचार के लिए एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

- चूंकि, प्रस्ताव के वित्तीय प्रभाव थे और केविसं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस सुविधाओं के विस्तार के परिणामस्वरूप इस मंत्रालय के तहत सभी स्वायत्त निकायों को कवरेज के कारण व्यापक प्रभाव और भारी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मामले को संदर्भित करने से पहले उनकी सहमति के लिए आईएफडी द्वारा फ़ाइल को व्यय विभाग को भेजा गया था।

- व्यय विभाग ने अपने आईडी नोट दिनांक 5.8.2020 **(अनुलग्नक-IV)** के द्वारा यह कहते हुए फ़ाइल वापस कर दी थी कि "सीजीएचएस पर नीतिगत मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास है और यह उन्हें स्वायत्त निकायों के लिए इसकी प्रयोज्यता तय करने के लिए है, क्योंकि यह नहीं है मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) में स्वायत्त निकायों का प्रश्न है, परंतु मंत्रालयों में ऐसे निकाय हैं। हालांकि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को जिस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि सीजीएचएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है न कि स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर। इसलिए, यदि वे इसे स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों तक विस्तारित करने का निर्णय लेते हैं, तो इसका वित्तीय बोझ केंद्रीय बजट पर नहीं आना चाहिए और निकायों के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार, यदि आवश्यकता हो, तो वे माननीय कैट के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने पर विचार कर सकते हैं। किसी भी स्वायत्त निकाय में इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय राजकोष से कोई निधियां किसी भी परिस्थिति में केंद्र सरकार में प्रदान नहीं की जाएगी।"

- दिल्ली/एनसीआर में अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान करने के लिए केविसं के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, वित्तीय निहितार्थ 4.92 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आता है। और दिल्ली/एनसीआर के अलावा अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को संतुलित करने के लिए यह 38.68 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आता है। तदनुसार, केविसं के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुल वित्तीय निहितार्थ राशि

प्रति वर्ष 43.60 करोड़ रुपये का प्रस्ताव, उनकी मंजूरी/सहमति के लिए व्यय विभाग को भेजा गया था।

- उत्तर में, व्यय विभाग ने का.ज्ञा.दिनांक 07.12.2022 **(अनुलग्नक-V)** के तहत प्रस्ताव से सहमत नहीं है, जिसमें कहा गया है कि, "इस विभाग में प्रस्ताव की जांच की गई है और यह देखा गया है कि प्रशासनिक मंत्रालय इस शर्त को पूरा करने में सक्षम नहीं है कि वित्तीय बोझ केंद्रीय बजट पर हस्तांतरित नहीं होगा।" साथ ही गणना नीचे की ओर दिखाई देती है। "उपरोक्त के मद्देनजर, केविसं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति नहीं है।"

- केविसं से अनुरोध किया गया है कि वे वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के लिए मामले को आगे बढ़ाने के लिए अद्यतन वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ अद्यतन आंतरिक प्राप्तियां प्रस्तुत करें।

******

**माननीय संसद सदस्य श्री राजन बाबूराव विचारे द्वारा 'केन्द्रीय विद्यालयों के स्टाफ के लिए सीजीएचएस सुविधाएं' के संबंध में दिनांक 03.04.2023 को पूछे जाने वाला लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 447**

## केन्द्रीय विद्यालय संगठन का संक्षिप्त नोट

**परिचय**

भारत सरकार ने केंद्र सरकार/रक्षा के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए नवंबर 1962 में केन्द्रीय विद्यालय योजना को मंजूरी दी थी। प्रारम्भ में शिक्षा वर्ष 1963-64 के दौरान सुरक्षा कर्मियों की सघनता वाले स्थानों पर चलाए जा रहे 20 रेजीमेंटल विद्यालयों को केन्द्रीय विद्यालयों के रूप में लिया गया और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक इकाई (केंद्रीय स्कूल इकाई) के रूप में कार्य किया। 15.12.1965 को इसे एक सोसायटी के रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया और एक स्वायत्त संगठन बन गया।

03.07.1967 को, "सेंट्रल स्कूल ऑर्गनाइज़ेशन" का नाम बदलकर 'केन्द्रीय विद्यालय संगठन' कर दिया गया, जिसे केंद्रीय विद्यालयों को खोलने और प्रबंधित करने का कार्य सौंपा गया, जिसे अब केंद्रीय विद्यालय कहा जाता है।

**01.02.2023 की स्थिति के अनुसार,**विदेश में काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में कार्यात्मक तीन केंद्रीय विद्यालयों सहित 1252 केंद्रीय विद्यालय हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों का क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार है:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **क).** | **सिविल** | **-** | **751** |
| **ख).** | **रक्षा** | **-** | **350** |
| **ग).** | **परियोजना** | **-** | **113** |
| **घ).** | **उच्च अधिगम संस्थान** | **-** | **038** |
| | | | **------** |
| | **कुल** | **-** | **1252** |

**2. उद्देश्य**

केन्द्रीय विद्यालयों के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, जिनमें रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मी भी शामिल हैं, के बच्चों को शिक्षा के एक समान पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्कताओं को पूरा करना।
- भारत सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, अस्थायी आबादी और देश के दूरस्थ और अविकसित स्थानों में रहने वाले लोगों सहित अन्य लोगों के बच्चों के लिए स्कूल उपलब्ध कराना, स्थापित करना, सहयोग, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करना, जिसे 'केन्द्रीय विद्यालय' कहा जाता है और ऐसे विद्यालयों के प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक या सहायक सभी कार्य करना।
- स्कूली शिक्षा को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाना और गति निर्धारित करना;
- सीबीएसई, एनसीईआरटी आदि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा में प्रयोग और नवीनता को शुरू करना और बढ़ावा देना, और

- राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना और बच्चों में 'भारतीयता' की भावना पैदा करना।

## 3. प्रशासन

### (क) संगठन का तीन स्तरीय प्रबंधन ढांचा

- मुख्यालय, नई दिल्ली
- 25 क्षेत्रीय कार्यालय, अपने-अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले विद्यालयों का प्रबंधन करते हैं।
- केन्द्रीय विद्यालय पूरे देश में और कुछ विदेशों में फैले हुए हैं।

### (ख) के.वि.सं. का कार्यकरण

- केविसं की अपनी आम सभा है जिसे संगठन कहते हैं, जिसमें 31 सदस्य होते हैं।
- शासी बोर्ड में 25 सदस्य हैं ।
- शासी बोर्ड की सहायता के लिए 04 स्थाई समितियॉ अर्थात शैक्षिक सलाहकार समिति, वित्त समिति,कार्य समिति तथा स्थापना एवं प्रशासन समिति है।

माननीय शिक्षा मंत्री संगठन के पदेन अध्यक्ष होते हैं। संगठन और इसके शासी बोर्ड द्वारा जारी नीति एवं दिशा-निर्देश आयुक्त द्वारा निष्पादित किए जाते हैं जो संगठन के कार्यकारी प्रधान हैं।

## 4. सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया/मानदंड

### क. प्रायोजक प्राधिकरण

नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है जब वे (क) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों (ख) राज्य सरकारों (ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रायोजित हों

### ख. भूमि की आवश्यकता

प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि की अपेक्षित सीमा निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | स्थान | न्यूनतम भूमि सीमा (एकड़) | वांछित भूमि का माप (एकड़) |
|---|---|---|---|
| 1 | क) महानगरीय शहर और हैदराबाद और बैंगलोर<br>ख) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों, जम्मू और कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए नए प्रावधान | 2.5 | 5 |
| 2 | अन्य सभी स्थान | 5 | 10 |

चूंकि उपरोक्त भूमि मानदंड की न्यूनतम सीमा में, ये सभी सुविधाएं नहीं हो सकती हैं सभी खेलकूद और अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण और केवि के भविष्य विस्तार हेतु भूमि की

उपलब्धता के मामले में प्रायोजक प्राधिकरणों को भूमि की वांछित सीमा प्रदान करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ये सभी सुविधाएं पर्याप्त रूप से निर्मित की जाये।

सिविल क्षेत्र के तहत राज्य प्रायोजित केवि के लिए, प्रस्ताव **जिला कलेक्टरों के बजाय** राज्य सरकार से आना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ केवि सभी खेल सुविधाओं जैसे फुटबॉल मैदान, 400 मीटर रनिंग ट्रैक आदि का विकास करें राज्य सरकार इस बात का ख्याल रखेंगी कि उनके द्वारा भेजा गया कम से कम हर तीसरा प्रस्ताव भविष्य में भूमि मानदंडों की वांछित सीमा को पूरा करता हो।

स्थायी स्कूल भवन के निर्माण के लिए प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमि तक पानी और बिजली की लाइनें/आपूर्ति और संपर्क मार्ग प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा उनकी लागत पर प्रदान किया जाएगा।

## ग. डोनेशन आधार पर केन्द्रीय विद्यालय हेतु भूमि की स्वीकार्यता:-

केविसं निम्नलिखित प्रावधानों के साथ डोनेशन आधार पर भूमि स्वीकार कर सकता है:-

क) डोनर राज्य सरकार/जिला प्रशासन को भूमि दान कर सकता है जो बदले में स्थायी अनुदान के आधार पर केविसं को भूमि हस्तांतरित करेगा।
ख) केविसं केन्द्रीय विद्यालय परिसर के अंदर उपयुक्त स्थान पर दाता के नाम को स्मृति चिन्ह के रूप में उकेरते हुए एक पट्टिका लगायेगा।

## घ. अस्थायी आवास की आवश्यकता:

कक्षाओं को चलाने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त किराया मुक्त अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए प्रायोजक प्राधिकरण उत्तरदायी है। अधिमानतः, प्रायोजक प्राधिकरण लगभग 7मी. x 7मी. के आकार के **15 कमरे** प्रदान करेंगे, जिसमें प्रति सेक्शन में कम से कम 40 छात्र हो सकते हैं। यह आवास प्रारंभ में नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने और कक्षा I से V तक प्रत्येक एक खंड के साथ शुरू करने के लिए आवश्यक है और साथ ही प्रधान कक्ष, स्टाफ कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, विद्यालय कार्यालय और विद्यालय की अन्य विविध गतिविधियों और अगले 3-4 वर्षों के लिए आवास और परिणामी विकास के लिए भी आवश्यक है।

प्रायोजक प्राधिकरण उनके द्वारा वार्षिक रूप से उपलब्ध कराए गए अस्थायी भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराएगा।

जब तक केन्द्रीय विद्यालय को केविसं द्वारा निर्मित स्थायी स्कूल भवन में स्थानांतरित नहीं किया जाता है, प्रायोजक प्राधिकरण अपने खर्च पर अस्थायी भवन की मरम्मत/रखरखाव का कार्य करेगा।

## ड. वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों/पहाड़ी क्षेत्रों/पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए छूट।

वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों, जम्मू और कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम राज्य सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के संबंध में अलग-अलग मानदंडों के साथ-साथ अतिरिक्त 10 अनुग्रह बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। इन जिलों/राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान नीचे दिए गए हैं:-

| क्र.सं. | वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों, जम्मू और कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए नए प्रावधान |
|---|---|

| | |
|---|---|
| i. | <table><tr><th>स्थान</th><th>न्यूनतम भूमि सीमा (एकड़)</th><th>वांछित भूमि सीमा (एकड़)</th></tr><tr><td>सभी स्थल</td><td>**2.5**</td><td>**5**</td></tr></table> |
| ii. | प्रस्तावित स्थान/स्टेशन पर पूर्व सैनिकों या अर्धसैनिक बलों या केंद्र सरकार सहित रक्षा सेवाओं सरकार के व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से भारत के उपक्रम के कम से कम 200 कर्मचारियों का समायोजन |
| iii. | ग्रेस पॉइंट्स - **10** (प्राप्त बिन्दुओं के अतिरिक्त) |

## 5 परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षा क्षेत्र संस्थान के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना

अपने परिसरों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त प्रस्तावों पर केविसं द्वारा एक समझौता ज्ञापन के रूप में तैयार किए गए कुछ नियमों और शर्तों को पूरा करने पर विचार किया जाता है। प्रस्तावित के.वि के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त और पर्याप्त भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण और आवासीय आवास प्रदान करने के अलावा, आनुपातिक ओवरहेड शुल्क और भविष्य के विकास व्यय सहित आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय को सार्वजनिक उपक्रमों/उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा पूरा किया जाता है।

## 6. क्षेत्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (जेडआईईटी)

केविसं में शैक्षिक प्रशिक्षण हेतु 05 क्षेत्रीय संस्थान अर्थात ग्वालियर (एमपी), मैसूर (कर्नाटक), मुंबई (महाराष्ट्र) चंडीगढ़ (यूटी) और भुवनेश्वर, (ओडिशा) में एक-एक हैं। सभी जेडआईईटी कार्यात्मक हैं।

## 7. केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश केविसं के शासी बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित कतिपय दिशानिर्देशों के आधार पर विनियमित होता है, जिसके अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2014-15 से रक्षा/सिविल क्षेत्र में केवि में प्रवेश देने के संबंध में निम्नलिखित प्राथमिकताओं का पालन किया जाएगा:-

1. केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय और गैर- स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे और पूर्व सैनिकों के बच्चे। इसमें विदेशी नागरिक अधिकारियों के बच्चे भी शामिल होंगे, जो भारत सरकार के निमंत्रण पर प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर आते हैं।
2. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/भारत सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान के स्थानांतरणीय और गैर- स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे
3. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय एवं गैर- स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
4. राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षा संस्थान के स्थानांतरणीय और गैर- स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
5. विदेशी नागरिकों के बच्चों सहित किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जो अपने काम के कारण या किसी व्यक्तिगत कारणों से भारत में हैं। विदेशी नागरिकों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रवेश के लिए कोई भारतीय नागरिक प्रतीक्षा सूची में न हों।

**नोट:** पिछले **7** वर्षों में माता-पिता के स्थानान्तरण की संख्या के आधार पर बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रवेश के मामलों में पूर्वोक्त नीति से हटकर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।

**8. एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कर्मचारियों की संख्या के साथ-साथ वित्तीय निहितार्थों की गणना।**

**क). कक्षा I से XII तक केवि (प्रत्येक कक्षा में दो अनुभाग, वाणिज्य / विज्ञान / मानविकी में दो अनुभागों के साथ)**

| पद का नाम | पदों की संख्या |
|---|---|
| प्राचार्य ग्रेड । | 01 |
| एचएम | 01 |
| पीजीटी | 25 |
| टीजीटी | 14 |
| पुस्तकालय अध्यक्ष | 01 |
| पीआरटी | 11 |
| पीआरटी (संगीत) | 01 |
| गैर शिक्षण | 09 |
| कुल | **63** |

**ख). एक केन्द्रीय विद्यालय (लगभग..) की स्थापना के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय।**

**(रू. करोड़ में)**

| केवी की स्थिति | कर्मचारियों की संख्या | आवर्ती व्यय | अनावर्ती व्यय | पूंजी लागत | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| **दो वर्गों के साथ कक्षा I से XII (03 स्ट्रीम)** | **63** | **5.75** | **0.06 + सतत मरम्मत और उन्नयन** | **24.77 लेकिन प्लिंथ एरिया और स्थान के कॉस्ट इंडेक्स पर निर्भर करता है** | **30.58** |

**9. वित्तीय सहायता**

वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए वार्षिक योजना आवंटन नीचे दिया गया है:-

**(रु . करोड़ में)**

| वर्ष | आय | पूंजीगत संपत्ति का निर्माण | कुल |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 4323.01 | 674.24 | 4997.25 |
| 2018-19 | 4775.40 | 231.35 | 5006.75 |
| 2019-20 | 6187.59 | 143.81 | 6331.40 |
| 2020-21 | 6162.68 | 275.00 | 6437.68 |
| 2021-22 | 6300.00 | 500.00 | 6800.00 |
| 2022-23 | 6811.50 | 700.50 | 7512.00 |

**10. शैक्षणिक प्रदर्शन**

केन्द्रीय विद्यालय का परिणाम सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों से औसतन काफी बेहतर रहा है जिसे निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

| वर्ष | कक्षा –X | | कक्षा -XII | |
|---|---|---|---|---|
| | केवीएस | सीबीएसई | केवीएस | सीबीएसई |
| 2016 | 98.92% | 96.21% | 95.46% | 83.05% |
| 2017 | 99.74% | 90.95% | 95.86% | 82.02% |
| 2018 | 95.94% | 86.70% | 97.78% | 83.01% |
| 2019 | 99.47% | 91.10% | 98.54% | 83.40% |
| 2020 | 99.23% | 91.46% | 98.62% | 88.72% |
| 2021 | 100% | 99.04% | 99.99% | 99.37% |
| 2022 | 96.62% | 99.40% | 97.08% | 92.71% |

**के.वि.सं., प्रत्येक वर्ष अपने छात्रों के प्रदर्शन मैट्रिक्स को बनाए रखता है।**

विगत तीन वर्षों में X और XII कक्षा के 70% से 80%, 80% से 90% और 90% से 100% के बीच प्रतिशत प्राप्त करने वाले के.वि. छात्रों का उपलब्ध प्रदर्शन मैट्रिक्स नीचे प्रस्तुत किया गया है:

| **कक्षा X** | | | |
|---|---|---|---|
| शैक्षिक वर्ष | **70%-80%** | **80% -90%** | **90%-100%** |
| 2017-18 | 18300 (20.02%) | 15629 (17.10%) | 6973 (7.63%) |
| 2018-19 | 20271 (24.41%) | 19512 (23.50%) | 12333 (14.85%) |
| 2019-20 | 21326 (22.57%) | 19386 (20.51%) | 9104 (9.63%) |
| 2020-21 | 31331 (25.42%) | 28343 (22.99%) | 18676 (15.15% |
| 2021-22 | 23153 (20.97%) | 20955 (18.98%) | 11328 (10.26%) |
| **कक्षा XII** | | | |
| शैक्षिक वर्ष | **70%-80%** | **80% -90%** | **90%-100%** |
| 2017-18 | 19520 (28.45%) | 13056 (19.03%) | 4435 (6.46%) |
| 2018-19 | 19928 (31.05%) | 14149 (22.05%) | 5574 (8.69%) |
| 2019-20 | 23314 (34.24%) | 18637 (27.37%) | 9129 (13.41%) |
| 2020-21 | 28559 (32.81%) | 28620 (32.88%) | 15895 (18.26%) |
| 2021-22 | 28391 (31.62%) | 18564 (20.67% | 6754 (7.52%) |

## 11. तथ्य शीट

| **क)** | **प्रशासन** | | |
|---|---|---|---|
| **-** | **केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या ( 01.02.2023 तक )** | **:** | **1252** |
| **-** | **दूसरी पाली के साथ चल रहे केंद्रीय विद्यालयों की संख्या ( 01.02.2023 तक )** | **:** | **70** |
| **-** | **क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या**<br>**जेडआईईटी की संख्या ( शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थान एवं प्रशिक्षण-चंडीगढ़, ग्वालियर, भुवनेश्वर, मुंबई और मैसूर )** | **:** | **25**<br>**05** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | **बिना केवी वाले जिलों की संख्या ( 01.02.2023 तक )** | **:** | **148** |
| - | **लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या - (17वां) बिना केवी वाला ( 01.02.2023 को )** | **:** | **99** |
| - | **आकांक्षी जिलों में केवी की संख्या (112 जिले)** | : | **96 जिलों में 160 केवी** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ख)** | **<u>अकादमिक</u>** | | |
| - | **छात्रों की संख्या** | **:** | **1428619** |
| - | **अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या** | **:** | **289652** |
| - | **अनुसूचित जाति के छात्रों का प्रतिशत** | **:** | **20.27%** |
| - | **एसटी छात्रों की संख्या** | **:** | **91,066** |
| - | **एसटी छात्रों का प्रतिशत** | **:** | **6.37%** |
| - | **श्रेणी-। छात्र** | **:** | **4,96,741** |
| - | **श्रेणी-** V **छात्र** | **:** | **34.77%** |
| - | **कंप्यूटर लैब्स के साथ केवी की संख्या** | **:** | **1242** |
| - | **छात्र कंप्यूटर अनुपात** | **:** | **18:1** |

## ग) केन्द्रीय विद्यालय में ई-क्लास रूम की स्थापना

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने वर्तमान तिथि तक देश भर में **कुल 12395 ई-कक्षाएं** स्थापित की है। 5300 ई-कक्षाएं ऐप्पल आई-पैड, स्ट्रीमिंग डिवाइस और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से युक्त हैं और शेष ई-कक्षाएं इंटरएक्टिव बोर्ड, इंटरएक्टिव पैड, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, विज़ुअलाइज़र और डेस्कटॉप कंप्यूटर से युक्त हैं।

## ई-सामग्री

केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षकों द्वारा उपयोग की जा रही ई-सामग्री या तो उनके द्वारा या सीआईईटी-एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईआईटी जैसे मुक्त संसाधनों के माध्यम से विकसित की गई है। देश भर में 25 केंद्रीय विद्यालयों (प्रत्येक क्षेत्र में एक) के छात्रों को प्रदान की गई टैबलेट पायलट प्रोजेक्ट ई-प्रज्ञा (ई-प्रज्ञा) के तहत ई-सामग्री के साथ पहले से युक्त हैं।

## घ) <u>स्थापना</u>

**शिक्षण/ गैर-शिक्षण के स्वीकृत पद**
**31.03.2022 को स्टाफ :56712**
**31.03.2022 को स्थिति में कर्मचारी :43934**
**31.03.2022 को रिक्ति की स्थिति :12778**

| क्र.सं. नहीं। | वर्ग | स्वीकृत पद | स्थिति में | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | गैर शिक्षण स्टाफ | 7225 | 5619 | 1606 |
| 2. | शिक्षण | 49487 | 38315 | 11172 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **कुल** | **56712** | **43934** | **12778** |

**घ) कार्य**

केविसं रक्षा/सिविल क्षेत्र के तहत, पट्टे पर या प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा स्थायी आधार पर, केविसं के पक्ष में पर्याप्त और उपयुक्त भूमि के हस्तांतरण के बाद केवि के स्थायी विद्यालय भवनों का निर्माण करता है। वर्तमान में **01.02.2023** तक स्कूल भवनों की स्थिति निम्नानुसार है:-

(i) कुल केवी : 1252
(ii) परियोजना के तहत केवी (111)/उच्च शिक्षा संस्थान (37)/विदेश (3) : (- )154
(iii) सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केवी जिसमें केविसं द्वारा भवन निर्माण किया जाना है **: 1098**
(iv) स्थायी भवनों के साथ केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या : 845
(v) केवी जहां स्कूल भवन निर्माणाधीन है : 99
(vi) केवी जहां स्कूल भवनों की योजना बनाई जा रही है। : 103
(vii) केवी जहां भूमि हस्तांतरित नहीं की गई : 51

**कुल 1098**

**च) 'ए टाइप' स्कूल भवन और 09 स्टाफ क्वार्टरों की वर्तमान निर्माण लागत 24.77 करोड़ है।**

**12. शुल्क संरचना (प्रति माह) 1.4.2013 से प्रभावी**

**क. शुल्क लागू**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रवेश शुल्क | 25.00 रु . |
| 2. | पुनः प्रवेश शुल्क | 100.00 रु |
| 3. | **ट्युशन शुल्क** | |
| 3(क) | कक्षा IX और X (लड़के) | 200.00 रु |
| 3(ख) | कक्षा XI और XII वाणिज्य और मानविकी (लड़के) | 300.00 रु |
| 3 | कक्षा XI और XII विज्ञान (लड़के) | 400.00 रु. |
| 4 | **कंप्यूटर फंड** | |
| 4(क) | कक्षा III के बाद जहां कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है | 100.00 रु |
| 4(ख) | कंप्यूटर विज्ञान शुल्क। (वैकल्पिक विषयों के लिए) + 2 चरण | 150.00 रु |
| 5 | विद्यालय विकास निधि | |
| 5(क) | कक्षा I - XII | 500.00 रु |

**ख. शिक्षण शुल्क, वीवीएन और कंप्यूटर फंड के भुगतान की श्रेणीवार छूट**

| श्रेणी | ट्यूशन शुल्क | कंप्यूटर फंड | वीवीएन योगदान |
|---|---|---|---|
| कक्षा 1-बारहवीं की छात्राएं | छूट प्राप्त | छूट नहीं | छूट नहीं |
| एससी/एसटी छात्र | छूट प्राप्त | छूट नहीं | छूट नहीं |
| केविसं कर्मचारियों के बच्चे | छूट प्राप्त | छूट नहीं | छूट नहीं |
| 1962, 1965, 1971 और 1999 की शत्रुता के दौरान मारे गए या विकलांग सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों और पुरुषों के बच्चे और साथ ही श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा बल (आईपीकेएफ) के रक्षा कर्मियों के बच्चे और मारे गए सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चे या सीचेन क्षेत्र में "ऑपरेशन मेघदूत" और कारगिल में "ऑपरेशन विजय" में अक्षम। | छूट प्राप्त | छूट नहीं | छूट प्राप्त |
| सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के उन जवानों के बच्चों को शिक्षण शुल्क, वीवीएन और कंप्यूटर फंड के भुगतान से छूट की छूट, जिनके माता-पिता भारत या विदेश में किसी भी उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान मारे गए/लापता घोषित किए गए या स्थायी रूप से अक्षम घोषित किए गए थे, को भी बढ़ा दिया गया है। यह छूट संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रमाणन के बाद दी जा सकती है। | छूट प्राप्त | छूट प्राप्त | छूट प्राप्त |
| माता-पिता के बच्चे, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, दो बच्चों तक और जिनके पास बीपीएल कार्ड है | छूट प्राप्त | छूट नहीं | छूट प्राप्त |
| दिव्यांग छात्र। (केविसं पत्र संख्या एफ 125-19/2007-08/केविसं (बजट) दिनांक 15.10.2009 में निर्धारित शर्त के अध्यधीन)। | छूट प्राप्त | छूट नहीं | छूट प्राप्त |
| छठी से बारहवीं कक्षा तक की सभी छात्राएं जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं ( 01.01.2006 से वीवीएन और कंप्यूटर फंड से।) | छूट प्राप्त | छूट प्राप्त | छूट प्राप्त |
| छात्रों को आपातकालीन सहायता | एक शैक्षणिक सत्र के लिए वीवीएन की छूट की अनुमति है | | |

**टिप्पणी:**

सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को उपरोक्त वर्णित विभिन्न प्रकार के शुल्कों की छूट अब से नहीं दी जाएगी क्योंकि उन्हें उनके विभागों से प्रतिपूर्ति प्राप्त हो रही है।

**केविसं के संबंध में संभावित प्रश्न और**

## उनके संक्षिप्त उत्तर

**प्रश्न.1 सीजीएचएस की सुविधा किसे प्रदान की जाती है?**

उत्तर. केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक अंशदायी स्वास्थ्य योजना है जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों और सीजीएचएस कवर क्षेत्रों में रहने वाले उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए है। कुछ स्वायत्त/सांविधिक निकायों ने लागत-दर-लागत के आधार पर अपने सेवारत कर्मचारियों या सेवारत और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान की हैं।

**प्रश्न 2 सीजीएचएस सुविधाएं क्या हैं ?**

**उत्तर** केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीएचजीएस) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है जो इस योजना के तहत नामांकित हैं। इसमें एलोपैथी और होम्योपैथी से लेकर आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और योग तक विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के तहत स्वास्थ्य सेवा शामिल है।

**प्रश्न 3 देश में केंद्रीय विद्यालय संगठन के कितने कार्यालयों को सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान की जाती हैं?**

**उत्तर** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएस के तहत केवल निम्नलिखित स्थान पर केविसं के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किया है:-

i. बैंगलोर (क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलोर के कर्मचारी और 14 केवी के कर्मचारी)
ii. हैदराबाद (क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के कर्मचारी और 18 केवी के कर्मचारी)
iii. कोलकाता (क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के कर्मचारी)
iv. चेन्नई (क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई के कर्मचारी और 16 केवी के कर्मचारी)
v. मुंबई (क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के कर्मचारी और 09 केवी के कर्मचारी)
vi. दिल्ली (केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली और केविसं (मुख्यालय) के कर्मचारी)।

**प्रश्न 4 महाराष्ट्र राज्य में कितने केंद्रीय विद्यालय सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं?**

**उत्तर** महाराष्ट्र राज्य में 09 केन्द्रीय विद्यालय हैं जो सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। विवरण अनुलग्नक-VI में दिया गया है।

**प्रश्न 5 महाराष्ट्र राज्य में कितने कर्मचारी सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं?**

**उत्तर** महाराष्ट्र राज्य (क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई सहित) में 289 कर्मचारी सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। विवरण अनुलग्नक-VI में दिया गया है।

**प्रश्न 6 सेवारत कर्मचारियों को कौन सी चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं जो सीजीएचएस सुविधा के अंतर्गत नहीं आते हैं?**

**उत्तर** केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के तहत सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाने वालों को छोड़कर महाराष्ट्र राज्य सहित केविसं के सभी सेवारत कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं।

**प्रश्न 7. सीजीएचएस सुविधा के अंतर्गत नहीं आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कौन सी चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं?**

**उत्तर** केविसं के सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सीजीएचएस कवर क्षेत्र में सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं, वे निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) 1000/- रुपये प्रति माह के पात्र हैं।

**प्रश्न 8 महाराष्ट्र राज्य में कितने केवी कार्यात्मक हैं?**

**उत्तर.** महाराष्ट्र राज्य में 59 केवी कार्यात्मक हैं।

*****